

अज अदालत

S.D.O

मुकाम

जीएलसी

श्री भोगी लाल

बनाम

श्री शीमल लाल

किस्म मुकद्दमा

53 R.T Act

नं.

59/18 सन

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|-----------------------------------|--|
|------------|-----------------------------------|--|

23/5/18

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट खैरपुर पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि श्री भोगी लाल/श्रीमल लाल, श्री शीमल लाल/श्री लाल द्वारा आपसी रफा बाना द्वारा 9/1/17 पत्रावली गिरी

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा डुमकेपुरा की (खसत 594 एकड़ 0.2)

- ① श्री भोगी लाल/श्रीमल लाल 594 0.24
- ② श्री शीमल लाल 594/1 0.24
- ③ श्री शीमल लाल/श्री लाल 594/2 0.23

इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(जितेन्द्र कुमार चाण्डे)

पीठाधीश्वर लोक अदालत

